

राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्रमांक : 2414-46

जयपुर, दिनांक 19/02/2020

उप निदेशक/सहायक निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,
राजस्थान।

विषय:- केशलेस मेडिकलेम बीमा पॉलिसी के संबंध में अधिस्वीकृत पत्रकारों से निर्धारित प्रपत्र में वांछित सूचना भरवा कर भिजवाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार की वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या-301 की पालना में लागू राज्य के अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए लागू की गई केशलेस मेडिकलेम बीमा पॉलिसी की अवधि दिनांक 28.02.2020 को समाप्त होने जा रही है। उक्त केशलेस मेडिकलेम बीमा पॉलिसी की अवधि को आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 तक बढ़ाया जाना है।

अतः आप अपने जिले के समस्त अधिस्वीकृत पत्रकारों से जाचकारी संलग्न आवेदन प्रपत्र 'परिशिष्ट-क' में स्वच्छ व सुस्पष्ट अक्षरों में भरवाकर तीन दिवस में विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें तथा पत्रकारों द्वारा भरे गये आवेदन पत्र की पूर्ण जांच कर मय निम्नानुसार आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी अभिशंषा सहित विभाग को भिजवायें।

1. नवीनतम अधिस्वीकरण कार्ड की छायाप्रति।
2. संबंधित पत्रकार द्वारा आश्रितों की जन्मतिथि संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
3. वर्तमान/स्थाई पते संबंधी आई.डी. की छायाप्रति।
4. स्वयं एवं आश्रितों (माता-पिता) का वार्षिक आय प्रमाण पत्र।
5. बीमारी की स्थिति में संबंधित डॉक्टर का प्रमाण पत्र।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

संलग्न:- निर्धारित प्रपत्र "परिशिष्ट-क"


आयुक्त

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्र. सं.	पत्रकार/आश्रित का नाम	अधिस्वीकरण कार्ड संख्या	वर्तमान में कार्यरत संस्थान का नाम एवं पदस्थापन का स्थान	वर्तमान पता	स्थायी पता	जन्म तिथि	वर्तमान आयु	आश्रित का पत्रकार से संबंध	वार्षिक आय	वर्तमान में किसी बीमारी से ग्रसित है अथवा नहीं	यदि बीमार है तो बीमारी की अवधि
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											

विशेष नोट:-

- 21 वर्ष से कम आयु के दो बच्चों मेडिकलेम बीमा पॉलिसी के लिए पात्र होंगे।
- माता-पिता जिनकी आय 2000/- रुपये प्रमिमाह से कम हो तथा वे संबंधित पत्रकार पर आश्रित हो, मेडिकलेम बीमा पॉलिसी के लिए पात्र होंगे।
- पत्रकार स्वयं की ई-मेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर भी अंकित करें।
- आवेदन पत्र को स्वच्छ अक्षरों में भरकर प्रेषित करें।

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज:-

- नवीनतम अधिस्वीकरण कार्ड की छायाप्रति।
- संबंधित पत्रकार द्वारा आश्रितों की जन्मतिथि संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- वर्तमान/स्थायी पते संबंधी आई.डी. प्रस्तुत करनी होगी।
- स्वयं का वार्षिक आय प्रमाण पत्र।
- बीमारी की स्थिति में संबंधित डॉक्टर का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचनाएं सही हैं एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि/असत्य के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूँ।

स्थान:-

दिनांक:-

मो. नम्बर:-

ई-मेल:-

हस्ताक्षर

(पत्रकार का नाम)